बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

संकल्प

विषय :– **राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) के कैडेटों एवं अंशकालीन पदाधिकारियों को शिविर/कोर्स हेतु यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता के दरों में अभिवृद्धि के अनुसार राज्यांश के रूप में अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार कुल ₹ 22,51,521/–(बाईस लाख एकावन हजार पाँच सौ एक्कीस रूपये) मात्र एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) के कैडेटों को शिविरों में आने–जाने के लिए AC 3 Tier में यात्रा करने की स्वीकृति के संबंध में।**

राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के छात्रों को अनुशासनात्मक पारिस्थितिक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के सहयोग से एन0 सी0 सी0 की स्थापना की गयी है। एन0 सी0 सी0 कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु राज्य मुख्यालय में एन0 सी0 सी0 निदेशालय के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर भी कार्यालय स्थापित हैं। एन0 सी0 सी0 के संबंधित कैडेटों को विभिन्न भत्तों का भुगतान किया जाता है। भत्ते के भुगतान पर होने वाला व्यय का वहन निर्धारित अंश के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। बढ़ती हुई महंगाई के अनुरूप समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्तों की अभिवृद्धि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जाती रही है। अंतिम बार विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–339, दिनांक 13.10.2014 द्वारा एन.सी.सी. अंशकालीन पदाधिकारियों एवं कैडेटों को शिविर/कोर्स हेतु यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता के दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी थी। केन्द्र सरकार के पत्र सं०–4/52/2024/D(GS-VI) दिनांक 11.03.2025 द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के अनुरूप दैनिक भत्ता की दर में अभिवृद्धि करते हुए पुनर्निर्धारित की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर के आधार पर राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) के कैडेटों एवं अंशकालीन पदाधिकारियों को शिविर/कोर्स हेतु यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता के दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जानी है।

2. केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) के कैडेटों का अंशकालीन पदाधिकारियों को शिविर/कोर्स हेतु यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता में ₹ 130/– से ₹ 265/– (अंशकालीन पदाधिकारियों) एवं ₹ 125/– से ₹ 265/– (एन0सी0सी0 कैडेट) प्रतिदिन करने का प्रस्ताव है, जो विवरणी में अंकित है :–

EST.2025 (1329)

क्र	भत्तों के नाम	वर्तमान दर (लागू दर)	वर्तमान दर पर वार्षिक वित्तीय भार	वर्तमान दर पर राज्यांश 25%	नया प्रस्तावित दर	प्रस्तावित दर पर वार्षिक वित्तीय भार	केन्द्रांश 75%	राज्यांश 25%	राज्यांश का अतिरिक्त भार (9–5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	दैनिक भत्ता कैडेटों का (शिविर/कोर्स हेतु यात्रा के दौरान)	₹ 125/– प्रतिदिन	–	–	₹ 265/– प्रतिदिन	–	–	–	–
	वरीय श्रेणी के कुल 27176 कैडेटों के लिए	27176 x 125	3397000	849250	27176 x 265	7201640	5401230	1800410	951160
	कनीय श्रेणी के कुल 36375 कैडेटों के लिए	36375 x 125	4546875	1136719	36375 x 265	9639375	7229531	2409844	1273125
2	दैनिक भत्ता अंशकालीन पदाधिकारियों (ANOs) का (शिविरों/कोर्स हेतु यात्रा के दौरान)	₹ 130/– प्रति दिन	–	–	₹ 265/– प्रति दिन	–	–	–	–
	वरीय श्रेणी 276 ANOs के लिए	276 X 130	35880	8970	276 x 265	73140	54855	18285	9315
	कनीय श्रेणी 531 ANOs के लिए	531 X 130	69030	17258	531 x 265	140715	105536	35179	17921
	योग	–	**8048785**	**2012197**	–	**17054870**	**12791152**	**4263718**	**2251521**

3. दैनिक भत्ता के दर में अभिवृद्धि के अनुसार राज्यांश के रूप में कुल ₹ 22,51,521/–(बाईस लाख एकावन हजार पाँच सौ एक्कीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा।

4. केन्द्र सरकार के पत्रांक–4/49/2024/D(GS-VI) दिनांक 09.04.2025 के द्वारा AC 3 Tier में यात्रा की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शिविरों में आने–जाने हेतु राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों को AC 3 Tier में यात्रा की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी जानी है।

5. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) के कैडेटों एवं अंशकालीन पदाधिकारियों को शिविर/कोर्स हेतु यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता में राशि के भुगतान हेतु राशि का विकलन मांग संख्या–08 के अधीन मुख्य शीर्ष–2204– खेलकूद तथा युवा सेवाएँ लघु शीर्ष–102 विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम, उप शीर्ष–0001–राष्ट्रीय कैडेट कोर–प्रशासन/0002 राष्ट्रीय कैडेट कोर वरीय शाखा/0003–राष्ट्रीय कैडेट कोर कनीय शाखा, विपत्र कोड–082204001020001/082204001020002/082204001020003 के अंतर्गत विषय शीर्ष–1101–यात्रा व्यय से होगा एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) के कैडेटों को शिविरों में आने–जाने के लिए AC 3 Tier में यात्रा करने हेतु राशि का विकलन मांग

EST.2025 (1330)

संख्या–08 के अधीन मुख्य शीर्ष ''2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएँ, लघु शीर्ष–102–विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम, उप शीर्ष–0001–राष्ट्रीय कैडेट कोर–प्रशासन, विपत्र कोड–082204001020001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–2002 कॉन्फ्रेन्स कार्यशाला सेमिनार से होगा।

6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) के कैडेटों एवं अंशकालीन पदाधिकारियों को शिविर/कोर्स हेतु यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता के दरों में अभिवृद्धि के अनुसार राज्यांश के रूप में अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार कुल ₹ 22,51,521/–(बाईस लाख एकावन हजार पाँच सौ एक्कीस रूपये) मात्र की एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों को शिविर में आने–जाने हेतु AC 3 Tier में यात्रा करने की स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर दिनांक–03.10.2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–109 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/एन०सी०सी० 05–01/2020–**1821**/ पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/एन०सी०सी० 05–01/2020–**1821**/ पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/एन०सी०सी० 05–01/2020–**1821**/ पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।
3/10/25

EST.2025 (1331)

ज्ञापांक–3/एन०सी०सी० 05–01/2020–**1821**/ पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त बिहार/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/अपर महानिदेशक, एन0सी0सी0 निदेशालय, बिहार एव झारखण्ड, पटना/संयुक्त सचिव/सभी निदेशक/उप सचिव/सभी पदाधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/एन०सी०सी० 05–01/2020–**1821**/ पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक की मद संख्या–109 दिनांक 03.10.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/एन०सी०सी० 05–01/2020–**1821**/ पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/एन०सी०सी० 05–01/2020–**1821**/ पटना, दिनांक **03.10.2025**

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

3/10/25

EST.2025 (1332)